संख्या-96/2018/3305 ई-2/तेरह-2018-53/2009

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 01 नवम्बर,2018

विषयः-मेसर्स यूनाइटेड स्प्रिट्स लि0, यूनिट मेरठ में स्प्रिट क्रय कर विदेशी मदिरा के निर्माण किये जाने हेतु प्रदान की गई अनुमति की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-70/दो-प्रा0डी0-34, दिनांक 18 सितम्बर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि मेसर्स यू0एस0एल0 आसवनी मेरठ को प्रस्तावित नये स्थल ग्राम अजराड़ा, जनपद मेरठ में आसवनी स्थानान्तरित कर स्थापित किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथारिटी ने अपने पत्र दिनांक 03-7-2014 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने से मना कर दिया है, जिसके कारण प्रश्नगत आसवनी के नये स्थल ग्राम अजराड़ा, जनपद मेरठ में स्थानान्तरण किए जाने में कोई प्रगति नहीं है।

2- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 30 अक्टूबर,2009 द्वारा मेसर्स यूनाइटेड स्प्रिट्स लि0, यूनिट मेरठ की अधिष्ठापित क्षमता 109.0 लाख लीटर से बढ़ाकर 180.0 लाख लीटर वार्षिक करने के साथ-साथ पेय क्षमता में वृद्धि होने के पश्चात् स्वीकृत पेय क्षमता के अनुरूप अन्तरिम काल(05 वर्ष में) में स्प्रिट क्रय करके बाटलिंग करने तथा बढ़ी हुई क्षमता के अनुसार प्लान्ट व मशीनरी की स्थापना वर्तमान स्थल मेरठ कैंट से प्रस्तावित नवीन स्थल ग्राम अजराड़ा, जिला मेरठ में 05 वर्ष के अन्दर करने की अनुमति, जिसे शासनादेश दिनांक 24 जुलाई,2015 द्वारा माह सितम्बर,2017 तक विस्तारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, को अग्रतर विस्तारित न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in